न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 173/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/273

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थी
बलम कंवर पत्नि ओमसिंह जाति राजपूत निवासी बुजावड़ तहसील लूणी जिला जोधपुर	राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता प्रार्थीनी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 24/03/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रनिया देशीपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 143 क्षेत्रफल 16.6730 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिसमें प्रार्थीनी का 53/206 हिस्सा है। विवादित आराजी में प्रार्थीनी का अशुद्व नाम वलीयाकंवर दर्ज है,जबकि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम बलमकंवर पत्नि ओमसिंह है तथा अन्य सरकारी दस्तावेज भी बलमकंवर के नाम से बने हुए है। लेकिन विवादित आराजी में अशुद्व नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थीनी द्वारा विवादित भूमि में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि वलीयाकंवर के स्थान पर सही नाम बलम कंवर इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थीनी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रनिया देशीपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 143 क्षेत्रफल 16.6730 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिसमें प्रार्थीनी का 53/206 हिस्सा है। विवादित आराजी में प्रार्थीनी का अशुद्व वलीयाकंवर दर्ज हो रखा है, जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीनी का वास्तविक नाम बलम कंवर दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थीनी का अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीनी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित आराजी में प्रार्थीनी के गलत नाम इन्द्राज होने के कारण अपूरणीय क्षति हो रही है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीनी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्ध नाम वलीया कंवर के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि बलम कंवर इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिपेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रनिया देशीपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 143 क्षेत्रफल 16.6730 हैक्टयर भूमि प्रार्थीनी की सहखातेदारी में अवस्थित है,जिसमें प्रार्थीनी का नाम वलीयाकंवर पत्नि ओमसिंह है। प्रार्थीनी विवादित आराजी में दर्ज वलीयाकंवर के स्थान पर बलम कंवर दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जबकि पत्रावली के संलग्न छायाप्रति बेचानपत्र दिनांक 11.2.2010 में भी प्रार्थीनी का नाम श्रीमती वलीयाकंवर पत्नि ओमसिंह अंकन है,उक्त बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 273 में भी वलीयाकंवर के नाम से पारित हुआ है तथा विप्रार्थी तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीनी का नाम दुरूस्ती नहीं किए जाने का उल्लेख किया है। प्रार्थीनी की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में आधार कार्ड प्रति,भामाशाह कार्ड प्रति,वोटर कार्ड प्रति,परिवार राशनकार्ड प्रति व बैक डायरी छायाप्रति प्रस्तुत की गई,जिसमें बलम कंवर नाम अंकन है,लेकिन उक्त छायाप्रति दस्तावेजात से यह प्रमाणित नहीं होता है कि बलम कंवर व वलीया कंवर एक ही हो। प्रार्थीनी की ओर से ऐसा कोई राजस्व–रेकर्ड पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि विवादित आराजी में उसका नाम अशुद्ध दर्ज हुआ हो। इस प्रकार यह प्रकरण नाम दुरूस्ती का बनता नही है,क्योकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दौराने रेकर्ड संधारण में कोई त्रुटि हुई है,तो दुरूस्ती की जा सकती है,लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है,क्योकि बेचानपत्र में भी वलीयाकंवर नाम दर्ज है तथा उक्त बेचानपत्र के आधार पर नामान्तकरण पारित हुआ था। इस प्रकार प्रार्थीनी हस्तगत प्रकरण के जरिए राहत प्राप्त नहीं कर सकती है,इसके लिए प्रार्थीनी पृथक से वाद लाने के लिए स्वतंत्र रहेगी। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीनी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीनी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/03/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा